



कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)



E-mail - dean-gmcshahdol@mp.gov.in,
Website - WWW.GMC SHAHDOL.ORG,

Office No. :- 07652-243000
Fax No.:- 07652 - 243222

क्रमांक/स्था./शा.चि.म./2021/.....**3982**

शहडोल, दिनांक **26/8**/2021

नोटिस

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में सीनियर/जूनियर रेसीडेंट के निम्नलिखित रिक्त पदों पर “वॉक इन इंटरव्यू” के माध्यम से सीमित पदावधि (Tenure) हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

सीनियर रेसीडेंट

सीनियर रेसीडेंट, (निश्चित वेतनमान रु. 76,000/- प्रतिमाह)

S.No.	Subject	UR	EWS	ST	SC	OBC
1	General Medicine	2	0	1	1	1
2	Pediatrics	2	0	1	1	1
3	Tuberculosis & Respiratory Diseases	1	0	0	0	1
4	Dermatology	1	0	0	0	1
5	General Surgery	1+1F	0	1	1	2
6	Orthopedics	1+1F	0	0	0	1
7	Oto-Rhino-Laryngologist	0	0	0	0	1
8	Obstetrics & Gynecology	0	0	0	1	2
9	Anesthesiology	1+1F	0	1	1	1
10	Radio-Diagnosis	0	0	0	0	1
11	Ophthalmology	0	0	0	0	1
	Total Post	12	00	04	05	13

जूनियर रेसीडेंट

जूनियर रेसीडेंट, (निश्चित वेतनमान रु. 53,000/- प्रतिमाह)

S.No.	Subject	UR	EWS	ST	SC	OBC
1	General Medicine	1	1	2	0	2+1F
2	Pediatrics	2+1F	1	2	1	2
3	Tuberculosis & Respiratory Diseases	1	0	1	0	1
4	Dermatology	1	0	1	0	0
5	Psychiatry	1	0	1	0	1
6	General Surgery	1	1	2+1F	2	2+1F
7	Orthopedics	1+1F	1	2	2	1
8	Oto-Rhino-Laryngologist	2	0	1	0	1
9	Ophthalmology	2	0	1	1	1
10	Obstetrics & Gynecology	3+1F	1	2+1F	2	2+1F
11	Anesthesiology	2+1F	0	1	1	1
	Total Post	21	05	18	09	17

सीनियर रेसीडेंट/जूनियर रेसीडेंट पद हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू नोटिस जारी होने के उपरान्त माह के प्रत्येक सोमवार (कार्य दिवस) तक कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का साक्षात्कार प्रति बुधवार को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल, (म.प्र.) पिन-484001 में प्रातः 11.00 बजे से सम्पन्न किया जावेगा।

वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित आवेदन पत्र एवं आवश्यक अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उम्मीदवार को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्रमांक एफ 4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.10 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर/स्नातक छात्र जिनका चयन क्रमशः सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बंधपत्र से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि सेवा छोड़ने की स्थिति में ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बंधपत्र की शर्तें लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

नोट:-

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रहेगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित हैं तथा 3 प्रतिशत पद विकलांगों हेतु आरक्षित हैं। महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी संवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरी जाएंगी।
4. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेंगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जायेगा।
6. रिक्त पद उपलब्ध होने तक वॉक-इन-इंटरव्यू जारी रहेगा। अतः आवेदन के पूर्व पद की उपलब्धता का पता कार्यालय के स्थापना शाखा से ज्ञात किया जा सकेगा।

शर्तें :-

1. **अवधि:-** सीनियर रेसीडेन्ट/जूनियर रेसीडेन्ट की सेवा-अवधि (Tenure) तीन वर्ष की होगी। प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
2. **नियुक्ति का तरीका :-** योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस. सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुसंधान पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. **शैक्षणिक योग्यता सीनियर रेसीडेन्ट :-** सीनियर रेसीडेन्ट की मूल अर्हता साक्षात्कार के समय एन.एम.सी. के वर्तमान/अद्यतन (Latest) मापदण्डानुसार रहेगी। जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले पाँच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है वे ही इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। सीनियर रेसीडेन्ट पद पर पदस्थ किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस करने की पात्रता नहीं होगी।

जिन चिकित्सकों ने म.प्र. में किसी भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

4. शैक्षणिक योग्यता जूनियर रेसीडेन्ट :-

- (क) एम.बी.बी.एस. पास कर इंटरनशिप पूर्ण कर ली हो।
(ख) उक्त चिकित्सकों की इंटरनशिप विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से पिछले तीन वर्ष में पूर्ण हुई हो, इसके पूर्व के चिकित्सक चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
(ग) निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

5. यात्रा भत्ता :- साक्षात्कार के लिए किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।

अन्य शर्तें :-

- इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 1-2 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, इन पर रेसीडेन्ट से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त, की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
- उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
- यदि कोई आवेदक किसी संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल काउंसिल भोपाल से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता द्वारा सीनियर रेसीडेन्ट की विभागों में संख्या कार्य आवश्यकता अनुसार समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।


26-8-2021

डॉ० मिलिन्द शिरालकर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

जिला - शहडोल (म०प्र०)।

